



पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर



छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित) कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

www.pssou.ac.in Email- registrar @pssou.ac.in

क्रं. /मनो. वि./2025

दिनांक 08/04/2025

// सूचना //

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर सत्र 2024-25 (जुलाई से जून) के पाठ्यक्रम बी. ए. (मनोविज्ञान) प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष तथा ए.टी.के.टी. (ATKT) में प्रवेशित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपकी 03 दिवसीय सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय की संपर्क कक्षाएं निम्न सारणी अनुसार आयोजित होगी। अतः उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

क्र.	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र	आयोजित संपर्क कक्षा की तिथि	संपर्क कक्षा के समय	प्रायोगिक परीक्षा की प्रस्तावित तिथि
1. बी. ए. प्रथम वर्ष (प्रथम समूह)	रायपुर, दुर्ग, कांकेर, जगदलपुर	15/04/2025 से 17/04/2025 तक	प्रातः 11.30 से शाम 03.00 तक	30/04/2025
2. बी. ए. प्रथम वर्ष (द्वितीय समूह)	बिलासपुर, जशपुर एवं अंबिकापुर	21/04/2025 से 23/04/2025 तक	प्रातः 11.30 से शाम 03.00 तक	
3. बी. ए. द्वितीय वर्ष	समस्त क्षेत्रीय केन्द्र	15/04/2025 से 17/04/2025 तक	दोप: 03.00 से शाम 05.30 तक	
4. बी. ए. अंतिम वर्ष	समस्त क्षेत्रीय केन्द्र	01/05/2025 से 03/05/2025 तक	प्रातः 11.30 से शाम 03.00 तक	09/05/2025

संपर्क कक्षा का स्थान – मनोविज्ञान विभाग, सिहावा अकादमिक भवन, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय कोनी, बिरकोना मार्ग बिलासपुर छत्तीसगढ़।

- नोट :-
01. सभी दिवस की संपर्क कक्षा में समस्त विद्यार्थी अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दें ताकि आपको पाठ्यक्रम विषयक आवश्यक निर्देश दिया जा सके।
 02. संपर्क कक्षा के पश्चात् उल्लेखित प्रायोगिक कार्य को निर्धारित तिथि के अंदर कार्यालयीन समय में विभाग में आकर जमा करें।
पता – मनोविज्ञान विभाग, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर कोनी बिरकोना मार्ग पिन नं. 495009
 03. प्रायोगिक परीक्षा की तिथि प्रस्तावित सूचना के अनुसार संपर्क कक्षा के बाद अथवा पृथक रूप से सूचना दिये जाने के पश्चात हो सकेगी।


विभागाध्यक्ष
मनोविज्ञान विभाग

क्रं. 1275/मनो. वि./2025

दिनांक 08/04/2025

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. समस्त क्षेत्रीय समन्वयक/अध्ययन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वेब सेल प्रभारी को इस सूचना के साथ इसे वि.वि. के वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सहायता प्रकोष्ठ में सूचनार्थ।
8. छात्रवास प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना।
9. कार्यालय प्रति।


विभागाध्यक्ष